



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122022-241427
CG-DL-E-27122022-241427

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5808]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2022/पौष 5, 1944

No. 5808]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2022/PAUSHA 5, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6051(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में 3"Ø GAS LIFT LINE FROM WELL#157 TO WELL#760(GGS -IV) तक पाइपलाइन ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को उस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने के प्रस्ताव है, और जो इस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के असाधारण राजपत्र में यथा प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाने के अधिकार के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, ओ.एन.जी.सी. परिसर, अंकलेश्वर-393010 (गुजरात) को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विदिनिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी द्वारा।

अनुसूची

3"Ø GAS LIFT LINE FROM WELL#157 TO WELL#760(GGS -IV)

तालुका : वागरा

जिला : भरुच

राज्य : गुजरात

गाव का नाम		सर्वे / ब्लोक नं.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1	2	3	4			
1	नरणावी	(ओ.एन.जी.सी.)		00	09	53
2	पादरीया	33		00	00	98
		24		00	68	47
		23		00	08	01
		21		00	13	65
		20		00	08	18
		3		00	04	40
		18		00	01	98
		4		00	19	32
		5		00	14	83
		323		00	02	59
		324 (सरकारी)		00	06	04
		321 (ग्राम पंचायत तालाब)		00	01	37
		322		00	08	58
3	कडोदरा	96		00	07	32
		97		00	04	40
		98		00	00	56
		783		00	03	03
		100		00	12	89
		101		00	07	32
		80		00	05	57
		76		00	22	73
		75		00	16	48
		70		00	22	11
		69		00	00	16
		66		00	01	10
		67		00	11	21
		58		00	05	39

1		2	3	4		
		59		00	04	62
		63		00	00	01
		60		00	01	63
		62		00	01	00
		61		00	00	75
		41		00	07	27
		53		00	09	62
		42		00	13	50
		43		00	18	12
		44		00	05	12
		45		00	07	04
		46		00	02	25
		28		00	01	18
		27		00	02	86
		26		00	00	99
		25		00	03	35
		141		00	24	99
		286		00	00	29
		335		00	10	97
		334		00	09	58
		338		00	12	95
		340		00	00	23
		341		00	13	44
		342		00	00	10
		370		00	06	05
		344		00	00	93
		369		00	18	37
		367		00	19	97
		387		00	02	21
		389		00	06	00
		390		00	01	02
		393		00	02	43

1		2	3	4		
		396		00	02	12
		450		00	03	14
		451		00	01	55
		453		00	02	81
		449		00	18	96
		482		00	17	98
		485		00	00	52
		505		00	17	12
		508		00	14	88
		791		00	04	05
		547		00	38	36
		794		00	05	87
4	दहेज	470		00	03	82
		452		00	06	78
		453		00	23	94
		454		00	19	42
		455		00	07	09
		436		00	16	97
		446		00	39	33
		445		00	02	66
		444		00	08	62
		379		00	05	86
		377		00	13	54
		378		00	04	87
		375		00	05	86
		172		00	08	53
		374		00	00	25
		373		00	16	12
		370		00	18	28
		314		00	21	26

[फा. सं. इएक्सपीएल-11032(11)/93/2022-इएक्सपीएल-1-पीएनजी(इ-45245)]

आर. के. कुरील, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2022

S.O. 6051(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that 3"Ø GAS LIFT LINE FROM WELL#157 TO WELL#760(GGS -IV) in Gujarat State, should be laid by the Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto:-

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

PROVIDED THAT ANY person interested in the land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Corporation Ltd. ONGC CAMPUS, ANKLESHWAR ASSET, ANKLESHWAR-390010 (Gujarat).

AND every person making such objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

3"Ø GAS LIFT LINE FROM WELL#157 TO WELL#760(GGS -IV)

TA :- VAGRA

DIST.:-BHARUCH

STATE :- GUJARAT

Name of Village		Survey No./ Block No.	Part if any	ROU Area		
				Hq.	Are	Sq.mtr
1		2	3	4		
1	NARNAVI	(ONGC)		00	09	53
2	PADARIYA	33		00	00	98
		24		00	68	47
		23		00	08	01
		21		00	13	65
		20		00	08	18
		3		00	04	40
		18		00	01	98
		4		00	19	32
		5		00	14	83
		323		00	02	59
		324 (GOVT.)		00	06	04
		321 (Gram Panchayat Lake)		00	01	37
		322		00	08	58
3	KADODARA	96		00	07	32
		97		00	04	40
		98		00	00	56

1		2	3	4		
		783		00	03	03
		100		00	12	89
		101		00	07	32
		80		00	05	57
		76		00	22	73
		75		00	16	48
		70		00	22	11
		69		00	00	16
		66		00	01	10
		67		00	11	21
		58		00	05	39
		59		00	04	62
		63		00	00	01
		60		00	01	63
		62		00	01	00
		61		00	00	75
		41		00	07	27
		53		00	09	62
		42		00	13	50
		43		00	18	12
		44		00	05	12
		45		00	07	04
		46		00	02	25
		28		00	01	18
		27		00	02	86
		26		00	00	99
		25		00	03	35
		141		00	24	99
		286		00	00	29
		335		00	10	97
		334		00	09	58
		338		00	12	95
		340		00	00	23

1		2	3	4		
		341		00	13	44
		342		00	00	10
		370		00	06	05
		344		00	00	93
		369		00	18	37
		367		00	19	97
		387		00	02	21
		389		00	06	00
		390		00	01	02
		393		00	02	43
		396		00	02	12
		450		00	03	14
		451		00	01	55
		453		00	02	81
		449		00	18	96
		482		00	17	98
		485		00	00	52
		505		00	17	12
		508		00	14	88
		791		00	04	05
		547		00	38	36
		794		00	05	87
4	DAHEJ	470		00	03	82
		452		00	06	78
		453		00	23	94
		454		00	19	42
		455		00	07	09
		436		00	16	97
		446		00	39	33
		445		00	02	66
		444		00	08	62
		379		00	05	86
		377		00	13	54

1		2	3	4		
		378		00	04	87
		375		00	05	86
		172		00	08	53
		374		00	00	25
		373		00	16	12
		370		00	18	28
		314		00	21	26

[F. No. Expl-11032(11)/93/2022-EXPL-I-PNG) (E- 45245)]

R. K. KUREEL, Director